अनुरूप नहीं होने तथा नामा० स्वारिज करने से पूर्व अपीलान्ट को विधिवत सुनवाई का अवसर नहीं दिये जाने के कारण सरपंच ग्राम पंचायत दुड़ियां का आदेश दिनांक 20.1.2016 को अपास्त किया जाना तथा नामा. क्रं. 1633 को वास्ते जांच कर पुनः तस्दीक करने की कार्यवाही हेतु तहसीलदार उदयपुरवाटी को प्रति प्रेषित किया जाना उचित व न्यायोचित प्रतीत होता है।

आदेश

अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है तथा ग्राम दुड़िया के नामान्तरण क्रं. 1633 पर सरपंच ग्राम पंचायत दुड़ियां का आदेश दिनांक 20.1.2016 को अपास्त किया जाता है। नामा. क्रं 1633 तहसीलदार उदयपुरवाटी को इस आशय के साथ प्रति प्रेषित किया जाता है कि वे ग्राम दुड़ियां के भूमि ख.नं. 1131/31 रकबा 0.20 हैं. में अपीलान्ट के हिस्से की भूमि के कब्जा की जांच करें तथा बाद जांच नियमानुसार नामान्तरकरण तस्दीक करने की कार्यवाही करें तथा उभय पक्षों को सुनकर विधिवत निर्णय पारित करें।

पत्रावली फैसला शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील फाइल दफ्तर हो।

Scanned by CamScanner